

कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(सँची)

आदेश पत्रक



साद सं- M-05/2021

धारा-107 दंडांश

भगन प्रसाद वगैरे प्रथम पक्ष

बनाम

दुरेश प्रसाद वगैरे द्वितीय पक्ष

आदेश की संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही की तारीख
	<p>अभिलेख संख्या-एम०- <u>05/2021</u> में दंडांश की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>दशरथ चौल</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>01/21</u> दिनांक- <u>05-01-2021</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>श्रीम- पौचा देवी- परमारेली अन्तर्गत खेत न००५ खाता न०-62 लॉट न० 616 श्रीम विवाद की लेकर इस पत्र के तनाव</u> 87</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दंडांश की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000(पचास हजार) रु० का बंध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>01/02/2021</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="367 1680 670 1881"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(सँची)</p> </div> <div data-bbox="973 1680 1276 1881"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(सँची)</p> </div> </div>	

4/1/21

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई एवं तिथि तारीख सहित
28-06-21	<p>अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष क्रमांक 01, 02, 03, 07, 11, 12 उपलब्धित अन्य अधिकारक हाजरी दिनांक प्रथम पक्ष क्रमांक 01, 04, 05 उपलब्धित अन्य अनुपलब्धित प्रथम पक्ष गवाही उपलब्धित करी दिनांक 02-08-2021 को 22वें</p> <p style="text-align: center;">16/8/21</p>	
02-08-21	<p>प्रथम पक्ष क्रमांक ^{अधिकारक हाजरी} 09 अनुपलब्धित अन्य करी उपलब्धित दिनांक प्रथम पक्ष क्रमांक 04, 06 अनुपलब्धित अन्य करी उपलब्धित । कार्य 02-08-2021 को 22वें दिनांक 16-08-2021 को 22वें</p>	
16-08-21	<p>अभिलेख उपलब्धित । प्रथम पक्ष गवाही के साथ उपलब्धित । वाद में वैधानिक समय सीमा दस मास पूर्ण हो चुका है अतः कालवाधि हो गया है । अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है</p> <p style="text-align: right;">16/8/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची)</p>	